

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना सं. 11/2020-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2020

सा.का.नि.(अ) . – केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017, सा.का.नि. सं01341(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में क्रम सं0 31क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.334/2/2020- टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्टूबर, 2017 सा.का.नि. सं.1341(अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं0 58/2018-सीमाशुल्क, तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो सा.का.नि. सं. 754(अ) तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई ।